अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 18/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 59/99-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1999 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में, सा.का.नि संख्यांक 331(अ), तारीख 11 मई, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा.सं. 334/04/2018-टीआरयू] रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 18/2018-Customs

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 59/99-Customs, dated the 11th May, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number 331(E), dated the 11th May, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 19/2018-सीमा शल्क

सा.का.नि. 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू] रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 19/2018-Customs

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 103 of the Finance (No. 2) Act, 1998 (21 of 1998), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the additional duty of customs on the goods specified in the Second Schedule to the said Finance Act.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.